प्रवेश विवरणिका

राजस्थान के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन-इंजीनियरिंग स्नातक स्तरीय (डिग्री) पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष ऑन-लाईन प्रवेश आवेदन

सत्र 2025-26

सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर

नजदीक राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004,
दूरभाष – 0141-2702344, ई-मेल: directorceg@gmail.com

राजस्थान के समस्त महिला एवं सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के

डिग्री (चार वर्षीय) **नॉन–इंजीनियरिंग** पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु विवरणिका

सत्र 2025–26

राजस्थान सरकार, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

संदर्भ सूची (Index)

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां	**1**
2.	प्रस्तावना	2
3.	प्रवेश के लिए सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	3
4.	प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं	3-4
5.	योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	4-5
6.	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण श्रेणी – A [(Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/MBC (Non Creamy Layer)] श्रेणी – B [(EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d)] (For Candidates belonging to military services) श्रेणी – C [Physically Handicapped (PH)/ Kashmiri Migrants (KM)] श्रेणी – D [(Widow/Divorcee)] श्रेणी – E [(Single Mother Dependent)]	6 - 9
7.	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना	9 - 10
8.	प्रथम आवंटन	10
9.	रिपोर्टिंग प्रक्रिया	10
10.	अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन	10 - 11
11.	द्वितीय आवंटन	11
12.	आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना	11
13.	इन्टर्नल स्लाइडिंग	11
14.	सीधे प्रवेश	11
15.	अन्य सामान्य अनुदेश	12 - 13
16.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	13
17.	नोडल संस्थानो की सूची (सारणी-1)	14
18.	रिपोर्टिंग हेतु संस्थानो की सूची (सारणी-2)	15
19.	प्रवेश शुल्क (सारणी-3)	16
20.	छात्रावास शुल्क (सारणी-4)	17
21.	सीट मैट्रिक्स (सारणी-5)	18
22.	खेल कूद कोटा प्रावधान (सारणी-6)	19-20

परिशिष्टों का विवरण (यह प्रारूप एक पृथक लिंक द्वारा वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है)

I	शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
II	राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई / बहिन के लिये शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
III	शिक्षण शुल्क मुकित योजना के लिये आय प्रमाण पत्र का प्रारुप
IV	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
V	अनुसूचित जाति /जनजाति /नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र का प्रारुप
VI	नॉन क्रीमी लेयर सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारुप
VII	प्रवजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत् घोषणा पत्र का प्रारुप
VIII	नाम व उपनाम में अंतर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारुप
IX	(a) आय का घोषणा पत्र (b) शपथ पत्र (C) उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्षय प्रमाण पत्र
X	एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा /35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहिता) के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप
XI	आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS)के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र
XII	आन लाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया

सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर

सत्र 2025-26

डिग्री (चार वर्षीय) नॉन-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

क्र.सं.	गतिविधियां	तिथियां
1.	प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां	11.06.2025 से 28.06.2025 तक
2.	अस्थायी योग्यता सूची जारी करने की तिथि	01.07.2025 को
3.	अस्थायी योग्यता सूची में संशोधन करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की तिथि	02.07.2025 से 04.07.2025 तक
4.	अंतिम योग्यता सूची जारी करने की तिथि	07.07.2025 को
5.	क्षैतिज-आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन: [कश्मीरी प्रवासी (KM), दिव्यांग जन (PH), एकल महिला आश्रित (SM), तलाकशुदा / परित्यक्ता(W/D), सैनिकों के आश्रित (MP)]	09.07.2025 को
6.	क्षैतिज-आरक्षण श्रेणी के आवंटित अभ्यर्थियों को निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज एवं प्रथम किस्त शुल्क 9400/-रुपए के साथ रिपोर्टिंग करना एवं रिपोर्टिंग उपरांत (यदि अभ्यर्थी चाहे तो) अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करना|	10.07.2025 से 11.07.2025 तक
7.	मुख्य प्रथम सीट आवंटन: [क्षैतिज-आरक्षण श्रेणी (KM, PH, SM, W/D & MP] के अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट करने के साथ प्रथम सीट आवंटन]	14.07.2025 को
8.	मुख्य प्रथम सीट के आवंटित अभ्यर्थियों को निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज एवं प्रथम किस्त शुल्क 9400/-रुपए के साथ रिपोर्टिंग करना एवं रिपोर्टिंग उपरांत (यदि अभ्यर्थी चाहे तो) अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करना|	15.07.2025 से 17.07.2025 तक
9.	मुख्य द्वितीय सीट आवंटन: (For choice exhaust & upward movement candidates) की तिथि	19.07.2025 को
10.	मुख्य द्वितीय सीट के आवंटित अभ्यर्थियों को निर्धारित को नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज एवं प्रथम किस्त शुल्क 9400/-रुपए के साथ रिपोर्टिंग करना|	21.07.2025 से 23.07.2025 तक
11.	आवंटित अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिश: अंतिम रुप से आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज सहित रिपोर्ट करना तथा महाविद्यालय स्तर पर इन्टरनल स्लाइडिंग हेतु इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करना|	24.07 .2025 से 26 .07.2025 तक
12.	महाविद्यालय स्तर पर इन्टरनल स्लाइडिंग किया जाना	28.07.2025 को
13.	महाविद्यालय कक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि	28.07.2025 को
14.	महाविद्यालय स्तर पर सीधे प्रवेश की तिथियां	04.08 .2025 से 07.08 .2025 तक
15.	महाविद्यालय द्वारा अंतिम रुप से प्रवेशित अभ्यर्थियों से संबंधित रिपोर्ट तथा सीधे प्रवेशित अभ्यर्थियों की शुल्क राशि नोडल एजेंसी-सीईजी में जमा करने की तिथि	11.08.2025 को

1. प्रस्तावना:

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 116 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी कुल प्रवेश क्षमता लगभग 22238 विद्यार्थी हैं। इनमें से 47 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 68 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना (PPP) के अन्तर्गत संचालित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 777 विद्यार्थी है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम यथा **बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स** (BFA), **बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन** (BFAD), **बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन** (BDes) तथा **बैचलर ऑफ विजुअल इफेक्ट्स** (BVE) करवाया जाता है|

इन पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा (RTU) एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर (BTU) द्वारा किया जा रहा है|

उक्त पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता है तथा स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर सकता है डिग्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री-इन्स्टीट्यूट इन्टरेक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

इस प्रवेश विवरणिका में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय डिग्री गैर-अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। **आवेदक इस विवरणिका का भली भांति अध्ययन कर आवेदन करें।**

प्रदेश के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि।

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया:

2.1 गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में केंद्रीयकृत प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल एजेन्सी **"सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (CEG)", झालाना डूंगरी, जयपुर** है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मैट्रिक्स) सारणी - 5 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2025-26 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा (RTU) एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर (BTU) से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों की ब्रांच व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

कौशल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रांच का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाइन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें |

राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित होंगी। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी - 3 पर उपलब्ध है। नियमित गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि चार वर्ष की है एवं शुल्क प्रति वर्ष लिया जायेगा| पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में मिलने वाली छूट के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट-I एवं II पर उपलब्ध है।

2.2 आवेदन करना: कौशल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं ऑप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस प्रवेश विवरणिका के अंत में उपलब्ध है। गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन मय विकल्प पत्र शुल्क रुपये 590 /- (पाँच सौ नब्बे रुपये) जी.एस.टी. सहित है। आवेदन शुल्क एक बार जमा किये जाने के पश्चात ना तो वापस किया जायेगा ना ही भविष्य में किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में समायोजित किया जायेगा।

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

अभ्यर्थी किसी भी विषय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा D. VOC परीक्षा संबंधित क्षेत्र में 45 प्रतिशत अंकों (40 प्रतिशत अंक आरक्षित श्रेणी SC/ST/OBC/MBC/PwD हेतु) से उत्तीर्ण होना चाहिए।

3.1**आयु सीमा:** प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है |

3.2 **आवेदन पत्रों की जांच :** आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत आवेदक को एस.एम.एस. द्वारा या पोर्टल पर आवेदन पत्र में रही कमियों (यदि कोई हो तो) से अवगत कराया जायेगा। आवेदक को इन कमियों को कौशल दर्पण पोर्टल पर log-in कर दूर करना है तथा जरूरत होने पर आवश्यक प्रमाण पत्र /दस्तावेज पुनः अपलोड करने है। यदि आवेदक के प्रमाण पत्रों में कमी की वजह से आवेदन पत्र अपूर्ण रहता है तो संयोजक द्वारा वह आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है । **इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी|**

3.3 **श्रेणी वार अस्थाई योग्यता सूची** : समस्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त श्रेणी वार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय होने पर संशोधन हेतु ऑनलाइन प्रार्थना पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेगा। इन समस्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त ही प्रवेश हेतु श्रेणी वार अंतिम योग्यता सूची जारी की जायेगी। इसके पश्चात् योग्यता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

3.4 **खेल कूद कोटे के लिए प्रावधान** : प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को खेल कूद कोटे के तहत सारणी -6 के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी|

4. **प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी एवं योग्यता सूची:**

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी :

4.1 योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

- **प्रथम प्राथमिकता श्रेणी Preferential category**-1:
  निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी **Preferential category** -1 के अन्तर्गत आयेंगे।

1(A) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अध्ययन कर उत्तीर्ण किया हो।

अथवा

1(B) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो ।

अथवा

1(C) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान/पत्नी हो ।

अथवा

1(D) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की सन्तान/पत्नी जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।

- **द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी (Preferential category- 2):**
  Preferential category 1 के अतिरिक्त अन्य समस्त सभी आवेदक, जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, वे Preferential category- 2 में सम्मिलित होंगे।
  Preferential category 1 की श्रेणी वार योग्यता सूची बनाई जाएगी तथा Preferential category- 2 के आवेदकों को इस योग्यता सूची के अन्त में (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) स्थान दिया जाएगा |

4.2 **योग्यता सूची (Merit List) बनाया जाना** :-

4.2.1 गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता सूची उच्च माध्यमिक (12 वीं) में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी|

4.2.2 जिन अभ्यर्थियों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.) / इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्युकेशन (I.C.S.E.) से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है इन अभ्यर्थियों की अंक तालिका में अंकित प्रतिशत को लेना है जो अंक तालिका पर उल्लेखित है अथवा उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना (CGPA/GPA) को उचित गुणांक से गुणा करने के बाद प्राप्त प्रतिशत से योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।

4.2.3 पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंक तालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।

4.2.4 अगर एक से अधिक आवेदकों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तब पहले जन्म तिथि (अधिक उम्र) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तदुपरांत पहले आवेदन करने वाले (जिसका आवेदन क्रमांक कम है) को प्राथमिकता दी जाएगी |

5. **अस्थाई मेरिट /अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन:** उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, प्रत्येक श्रेणी का योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। अस्थाई मेरिट सूची कौशल दर्पण पोर्टल, CEG पोर्टल एवं DTE पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी | यदि किसी अभ्यर्थी को कोई संशय हो तो निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से संयोजक को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा | समस्त आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी|

6. **गैर-अभियांत्रिकी (चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीट आवंटन के लिए प्रक्रिया एवं दौर (Round):**

प्रणाली	**दौर (Round)**	**प्रवेश प्रक्रिया का विवरण**
केन्द्रीय प्रवेश	1st	कश्मीरी प्रवासी (KM), विशेष योग्यता वाले व्यक्ति (PH), एकल महिला आश्रित (SM), तलाकशुदा /परित्यक्ता (W/D), सैनिकों के आश्रित (MP)।
	2nd	मुख्य काउंसलिंग (प्रथम आवंटन)
	3rd	द्वितीय आवंटन : अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ प्रथम आवंटन में Choice Exhausted वाले अभ्यर्थियों को सीट आवंटन
संस्थान स्तर	4th	संस्थान स्तर पर इन्टरनल स्लाईडिंग
	5th	रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश

नोट: केन्द्रीयकृत राउंड के लिए प्रत्येक आवंटन के पश्चात रिक्त रही सीटों को क्रमिक रूप से उनकी उपयुक्त ऊर्ध्वाधर / क्षैतिज आरक्षित श्रेणी की सीटों में विलय कर लिया जाएगा।

7. **प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:**

- **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्नानुसार है :**

7.1 श्रेणी-A: सामान्य(GEN) / अनुसूचित जाति (SC) के लिये 16 प्रतिशत /अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 12 प्रतिशत (उपरोक्त 12% का 45% TSP क्षेत्र के आवेदकों हेतु आरक्षित है) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 21 प्रतिशत / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिये 5 प्रतिशत / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये 10 प्रतिशत|

नोट:

- *अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट-VI मे अन्डरटेकिंग देनी होगी | प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।*
- *आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट- IX में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।*

- **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्नानुसार है :**

7.2 श्रेणी-B: भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण:

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

Priority I : Widows/Wards of Defense Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III : Widows/Wards of Defense personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards :

i. Param Vir Chakra
ii. Ashok Chakra
iii. Maha Vir Chakra
iv. Kirti Chakra
v. Vir Chakra
vi. Shaurya Chakra
vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal
viii. Mention-in-Dispatches.

Priority VI :Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : **Wives of** :

i) Defense personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) Defense personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) Ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

नोट:

- The domicile requirement for the wards of the defense personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of defense personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. How ever, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-*IV* में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय Discharge Certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

7.3 श्रेणी-C: दिव्यांग जन के लिये आरक्षण:

7.3.1 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के पांच (5%) प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जाएंगे |

7.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त दिव्यांग ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की आहर्ताएं भी पूरी करते हों। दिव्यांग अभ्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की आहर्ताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रांच के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

7.3.3 दिव्यांग (PH) अभ्यर्थी जो प्रवेश लेना चाहता है तो उस अभ्यर्थी को केंद्र सरकार के निम्न कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपनी निःशक्तता की जाँच करवानी होगी। फिर NCSC DA, Jaipur द्वारा डिप्लोमा की जिस ब्रांच के लिए अभ्यर्थी को पात्र माना जाता है ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ उसी ब्रांच में प्रवेश के लिए पात्र होगे और उन्हें NCSC DA, Jaipur द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है।

National Career Service Centre for Differently Abled, Jaipur
दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर, जयपुर
4 SA 23, Surya Path, Jawahar Nagar, Jaipur – 302004
4-स-23, सूर्य पथ , जवाहर नगर, जयपुर -302004
दूरभाष: 0141-2652232 ईमेल: vrc-jaip-rj@nic.in

7.4 श्रेणी-D: विधवा एवं तलाकशुदा महिला के आरक्षण के प्रावधानः

महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे। ये स्थान जिस श्रेणी की अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानो में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

7.5 श्रेणी-E: एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधानः

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप *परिशिष्ट-X* पर उपलब्ध है।

7.6 श्रेणी-F: प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधानः

7.6.1 **कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थानः**

प्रत्येक पाठ्यक्रम शाखा में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें (स्वीकृत सीटों के अलावा) कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के बच्चों के लिये आरक्षित की जाएगी । अभ्यर्थी को इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि वो जम्मू कश्मीर विस्थापितों की संतान है ,आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7.6.2 **शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (TFWS) के अंतर्गत आरक्षण**

- इस योजना के अंतर्गत जिन पाठ्यक्रमों में गत वर्ष 50% सीटें भर गई थी उनमें "स्वीकृत प्रवेश क्षमता" की 5% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
- EWS अभ्यर्थी स्वतः ही इसके लिए पात्र हैं | अन्य वर्गों में से जिन अभ्यर्थियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनको इस आरक्षण में सम्मिलित होने के लिए आय का प्रमाण परिशिष्ट XI में आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को अंतिम आवंटित महाविद्यालय में इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो ये सीटें अन्य किसी को आवंटित नहीं की जाएंगी।
- इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को सारणी- **3** में दर्शाये गये शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित/लाभान्वित अभ्यर्थी यदि अपवर्ड मूवमेन्ट, इन्टरनल स्लाईडिंग, द्वितीय वर्ष में ब्रान्च में परिवर्तन या द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में संस्थान स्थानान्तरण करवाता हैं तो **TFWS योजना का लाभ देय नहीं होगा**।

8. प्रथम आवंटन (First Allotment):

A, B, C, D, E तथा F आरक्षण श्रेणियों को ऑनलाइन सीट आवंटन के साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (Option Form) में भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमाकं एवं संस्थानों में श्रेणी वार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा।

यह आवटंन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात choice exhausted हो जाती है, उन्हे स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

9. रिर्पोटिंग करने की प्रक्रिया:

प्रथम आवंटन के उपरान्त जिन अभ्यर्थियों को संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे **अभ्यर्थी / अभिभावक** किसी भी नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवायेंगे तथा प्रवेश हेतु निर्धारित **शुल्क की प्रथम किस्त 9400/- रुपये** ई-मित्र अथवा कौशल दर्पण पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से पोर्टल पर जमा करवाना होगा। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

रिर्पोटिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित नोडल सेन्टर, जिनकी सूची सारणी – 1, विभागीय वेबसाइट तथा कौशल दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं , में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क रसीद के साथ रिपोर्ट कर सकेगा||। रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

10. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना:

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाती है । अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती है तथा वे उच्चतर विकल्प पर प्रवेश चाहते है, वे रिपोर्टिगं के दौरान अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारुप में नोडल सेन्टर पर आवेदन कर सकते हैं एवं नोडल केंद्र इस सूचना का पोर्टल पर इन्द्राज करेंगे। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवदेन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवटंन में सम्मिलित किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

नोट:

- **नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय मूल प्रमाण पत्रों की जाचं के दौरान अभ्यर्थी का श्रेणी या मेरिट परिवर्तन होता है या मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उन्हे प्रथम आवंटन में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा|**
- **ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय आवंटन में भाग लेने के लिए संयोजक को (नोडल पर रिपोर्टिंग के समय) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं| प्रार्थना पत्र के साथ उचित दस्तावेज संलग्न करने पर उन्हे द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर लिया जायेगा|**

11. द्वितीय आवंटन (Second Allotment):

प्रथम आवंटन की रिर्पोटिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted, मेरिट परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन और upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे। रिर्पोटिंग की प्रक्रिया प्रथम रिर्पोटिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के **अपवर्ड मूवमेन्ट** के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है, उन्हे सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा|

12. अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना:

समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है तथा जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है उन्हे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

13. इन्टरनल स्लाईडिंग (Internal Sliding):

संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत ऑनलाईन काउन्सलिगं के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। इस हेतु ब्राचं वार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणी वार मेरिट बनाकर इन्टरनल स्लाईडिंग की जाएगी । शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया जायेगा । स्ववित्तपोषित ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच वाले अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध स्ववित्त पोषित ब्रांच में परिवर्तन कर सकते है लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा|

14. सीधे प्रवेश (Direct Admissions):

केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थान वार प्रवेश किये जाएंगे। इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवा कर आवेदन की प्रक्रिया दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। सीट आवंटन के लिये श्रेणी वार मेरिट बनाई जाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवंटन किया जायेगा। प्रत्येक संस्थान के लिये निर्धारित शुल्क (सारणी -3 के अनुसार) एवं मूल दस्तावेज संस्थान में प्रवेश के दौरान जमा करवाने होंगे।

15 . अन्य सामान्य अनुदेश:

- प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा (RTU) एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर (BTU), राजस्थान द्वारा किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा | अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामांकन में परेशानी ना आए। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट- VII में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

  नोट:

  ➡ **यदि छात्रा ने अंतिम परीक्षा ऐसे बोर्ड / विश्वविद्यालय से पास की है जो की प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जारी नहीं करता है तो इसका प्रमाण संलग्न करना होगा** |

- यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार शुल्क / अवधान द्रव्य संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार लौटाया जायेगा।
- प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंक तालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाणपत्र जमा कर लिये जाएंगे। ये प्रमाणपत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग के कारण मंडल द्वारा दंडित किया गया हो / किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारण वश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उस का प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा।
- प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा। संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे ।
- प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

- विद्यार्थी पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (RTU) एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर (BTU) के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन आदि हेतु विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश लागू होंगे।

17. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क:

17.1 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्राओं हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है।

17.2 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जायेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी - 4 में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी|

17.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।

17.4 निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

सारणी-1:नोडल केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	दूरभाष
राजकीय महिला संस्थान		
1.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	0145—2695195
2.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	0151—2528874
3.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	0141—2706688
4.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर)	0141—2791411
5.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	0291—2434187

सारणी-2 : संस्थाओं के नाम एवं रिपोर्टिंग स्थानों का विवरण

क्रम संख्या	आवंटित संस्थान का नाम	संस्थान का नाम जहां अभ्यार्थी रिपोर्टिंग करेंगे	पता एवं दूरभाष
1	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	Govt. Women Polytechnic College Ajmer, Makhupura, Ajmer - 305002 0145-2695195
2	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	Govt. Women Polytechnic College Bikaner. 0151-2528874
3	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	Govt. Women Polytechnic College, Jodhpur. 0291—2434187
4	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	A-5, Mahatma Gandhi Marg , Gandhinagar, Jaipur – 302015 0141-2706688
5	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर	Sector-8, Haldighati Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302033 0141-2791411

सारणी 3 - प्रथम वर्ष गैर अभियांत्रिकी(चार वर्षीय) स्नातक स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस	
		प्रथम किशत प्रवेश के समय	दूसरी किशत जनवरी माह में
1	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	300	-
2	शिक्षण शुल्क	-	-
3	अराजकीय खाता: अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	1000	-
4	विविध व्यय (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, ड्राइंग शुल्क)	2000	2000
5	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस शुल्क)	1000	1000
6	विद्यार्थी क्लब / विद्यार्थी सभा शुल्क	1000	1000
7	खेलकूद शुल्क	850	850
8	विकास शुल्क	3250	3250
	कुल (किशत अनुसार) ▶	**9400**	**8100**
	कुल (वार्षिक शुल्क) ▶	**17500**	

नोट :

- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
- अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर वापिस दी जायेगी।
- सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की प्रथम किस्त 9400/- रुपये जमा करवाना होगा।
- समस्त अभ्यर्थियों द्वारा सारणी–3 के अतिरिक्त नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं विकास शुल्क राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (RTU) एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर (BTU) द्वारा निर्धारित राशि समय – समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा करवाना आवश्यक होगा|
- विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट- I एवं II प्रस्तुत करें।

सारणी – 4 : छात्रावास शुल्क

क्र. सं.	मद		राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान	
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	**2**		**3**	**4**
(क) राजकीय खाता				
1-	कमरे का किराया (प्रति विद्यार्थी)	● सिंगल सीटेड	1600	1600
		★ डबल सीटेड	1000	1000
		⇔ ट्रिपल सीटेड	600	600
(ख) अराजकीय खाता				
2-	छात्रावास का अवधान द्रव्य (Refundable)		2000	-
3-	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन (Refundable)		1500	-
4-	छात्रावास मैस सिक्युरिटी		-	-
5-	पानी के खर्च का शुल्क		#	#
6-	बिजली के खर्च का शुल्क		#	#
7-	सामान्य कोष्ठ शुल्क		500	500
8-	विकास एवं मरम्मत शुल्क		800	800
9-	कॉमन रूम (यदि उपलब्ध हो तो)		300	300
10-	वार्डन एवं वॉचमैन सुविधा शुल्क		500	500

नोट :

- **# - बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्राओं में समान रूप से बांटकर वसूल किया जाएगा|**
- **उक्त शुल्क में परिवर्तन की संभावना है | अतः जमा कराई जाने वाली फीस के संबंध में अंतिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें|**

सारणी -5 : सीट मैट्रिक्स

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	ब्रांच का नाम	एआईसीटीई प्रवेश क्षमता
01.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन (BFAD)	30
		बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA)	30
02.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन (BFAD)	30
		बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन (Applied Arts and Crafts)	30
03.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन (BFAD)	30
		बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA)	30
		बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन (BDes)	30
		बैचलर ऑफ विजुअल इफेक्ट्स (BVE)	30
04.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर	बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन (BDes)	30
		बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन (BFAD)	30
05.	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	बैचलर ऑफ फैशन एवं अपैरल डिजाइन (BFAD)	30
		बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA)	30

सारणी -6 : खेल कूद कोटे के लिए प्रावधान (SPORTS QUOTA PROVISION)

1. Following Concessions shall be admissible to the outstanding players and athletes seeking admission:

Category and weightage percentages explanation:

Category-A. The following categories of candidates shall be eligible for admission to the course irrespective of the marks obtained by them at the qualifying examination(s) provided they fulfil the conditions of eligibility laid down.

- Those who have been sponsored by the Ministry of Education and Social Welfare to represent the Nation in Games & Sports in International Tournaments.
- Those who have represented state school in games and sports in school game federation of India (SGFI).

Category-B. The following categories of candidates shall be **eligible for a weightage of 7% of the total aggregate of marks prescribed for the qualifying examination** while preparing the merit list for admission to the course.

- Position in Kendriya Vidyalaya Sangathan (K.V.S.) NationaI/ Navodya VidhyaIaya Sangathan (N.V.S.) National/ IPS National/ CBSE National/ Sainik School National Tournament.
- Position in Rajasthan State School Games Tournaments.

Category-C. The following categories of candidates shall be eligible for a weightage of 5% of the total aggregate of marks prescribed for the qualifying examination while preparing the merit list.

- Participation in Kendriya Vidyalaya Sangathan, Navodya school, Sainik school, IPS national, CBSE national, / Sainik school national tournament
- Participation in Rajasthan school state games tournament
- Position in CBSE zonal / cluster tournaments)

Category-D. The following categories of candidates shall be eligible for a weightage of 4% of the total aggregate of marks prescribed for the qualifying examination while preparing the merit list for admission to course.

- Position in KVS Regional/ Position in NVS Regional/ Position in IPS Regional or Cluster/Position in Rajasthan School District Tournaments.

Category-E. The following categories of candidates shall be eligible for a weightage of 2% of the total aggregate of marks prescribed for the qualifying examination while preparing the merit list for admission to course.

- Those who have represented their respective schools in KVS Regional/ NVS cluster/ Regional/IPS Regional, Cluster/ Rajasthan District schools Tournaments.

Note:

1. Weightage will be given to only those certificates of games & sports which he/she have participated at least once in the immediately preceding two years.
2. For the purpose of claiming the above concessions, the certificates submitted have to be countersigned by the Head of the institution.
3. For the purpose of claiming the above weightage, the applicant has to submit School and such other relevant certificates(s) to prove the link of his representation up to that level.
4. The weightage will be given only for those games & Sports, which are approved in state Sports Board.
5. Weightage will not be given to any open competitions like district/ State/ National, Women sports, Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, Rural Sports, PYAKA etc.

2. Required documents to be uploaded with online application:

- Certificates of games & sports participated (countersigned by the Head of the institution).
- Certificates of Position (if any) in games & sports participated (countersigned by the Head of the institution).

Note: Upload **Single PDF file** for all certificates.

3. Sports Board Approved Games:

Sports Board approved games & Sports (Regular Courses)

Sr. No.	Games	Section
1.	Air Rifle & Air Pistol (10mts)	Men & Women
2.	Aquatic	Men & Women
3.	Archery	Men & Women
4.	Athletics	Men & Women
5.	Badminton	Men & Women
6.	Basketball	Men & Women
7.	Boxing	Men
8.	Chess	Men & Women
9.	Cricket	Men & Women
10.	Cross Country	Men & Women
11.	Cycling	Men & Women
12.	Football	Men & Women
13.	Gymnastics	Men & Women
14.	Handball	Men & Women
15.	Hockey	Men & Women
16.	Judo	Men & Women
17.	Kabaddi	Men & Women
18.	Kho-Kho	Women
19.	Squash Rackets	Men
20.	Table Tennis	Men & Women
21.	Tennis	Men & Women
22.	Volleyball	Men & Women
23.	Wrestling (Free Style)	Men & Women
24.	Weight Lifting & Best Physique	Men

Sports Board Approved Games (SFS)

Sr. No.	Games	Section
1.	American Football	Men & Women
2.	Boxing	Women
3.	Kho-Kho	Men
4.	Ball Badminton	Men & Women
5.	Netball	Men & Women
6.	Roll Ball	Men & Women
7.	Rugby	Men & Women
8.	Shooting	Men & Women
9.	Softball	Men & Women
10.	Squash Rackets	Women
11.	Taekwondo	Men & Women
12.	Wrestling (Greeco Roman)	Men
13.	Wushu	Men & Women
14.	Yoga	Men & Women
15.	Weight Lifting	Women